उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल,

अपील आदेश संख्या 43/2015

दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड .....अपीलार्थी।

बनाम

श्री महेश कन्याल व अन्य.....प्रतिवादी।

साथ

अपील आदेश संख्या 42/2015

दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड .....अपीलार्थी।

बनाम

श्रीमती नन्दा और अन्य .....प्रतिवादी।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता– श्री वी0के0 कोहली, वरष्ठि अधिवक्ता, श्री कांति शर्मा।

प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता– श्री देवेश उप्रेती, अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता– श्री नीरज उप्रेती, अधिवक्ता।

निर्णय

<u>मान्नीय शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति</u>

बीमा कम्पनी द्वारा ये दो अपीलें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 (जिसके इसके पश्चात ''अधिनियम'' के रूप मे सन्दर्भित किया जायेगा) की धारा–173 के तहत योजित की गयी है, जिसके तहत वे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, खटीमा, जिला उधमसिंह नगर द्वारा एमएसीपी वाद संख्या–308 वर्ष 2012, महेश कनियाल बनाम भूरे खान व अन्य, 30 सितम्बर 2014 को पारित आपेक्षित पंचाट एवं साथ ही साथ निर्णय पंचाट दिनांकित 30.09.2014 जैसा कि एमएसीटी के वाद संख्या–313 वर्ष 2012 नन्दा कन्याल बनाम भूरे खान और अन्य में प्रतिपादित किया है, के निर्णय एवं पंचाट को चुनौती दे रहे है। जिसमें याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से रू 13,8229/– की धनरशि मय ब्याज 7.5 प्रतिशत ब्याज पारित किया गया है। विद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (जिसे इसके पश्चात ''अधिकरण'' के रूप मे निर्दिशत किया जायेगा) ने दावेदारो को क्रमशः रू0 66,89757/– और रू0 138229/– की राशि अधिनिर्णय करने के लिए अग्रसर किया था, जिस आदेश को वर्तमान अपील से चुनौती दी गयी है।

2. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाये गये प्रश्नों को उत्तर देने से पहले, अक्षेपित अधिनिर्णय को चुनौती देते हुए, इस न्यायालय द्वारा इन अपीलो पर निर्णय देते समय कुछ आधारभूत तथ्यो और विशेषताओ पर विचार किया जाना आवश्यक है।

3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि एक दुर्घटना में, जो 31 दिसम्बर 2011 को गांव–बस्तिया के पास लगभग 5:30 बजे घटित हुयी थी। दावा याचिका का आवेदक जो एक सेंटरो कार मे यात्रा कर रहा था, जिसका पंजीकरण संख्या–यू0ए0 06जी 5188 था एक केंटर ट्रक के साथ जिसका पंजीकरण संख्या–यू0ए0 04ई 3581 है, दुघ र्टना का शिकार हुआ। जिस समय दुर्घटना हुयी अपीलकर्ता उसके परीवार के सदस्यो और कार के अन्य साथियों के साथ श्यामलताल से खटीमा की ओर जा रहा था और 31 दिसम्बर 2011 को हुयी दुर्घटना के परिणामस्वरूप उन्हे गम्भीर चोटे आयी थी।

4. दावा याचिका के आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि दुर्घटना के प्रासंगिक समय पर वह पैंतालीस वर्ष का था और एक अधिवक्ता था। उपार्जित करने वाली आज की प्ली पर वह दावा करता है कि वह लगभग बीस हजार रूपये प्रति माह की राशि कमा रहा था। दावेदारो को लगी चोट के अलावा अन्य दो सह यात्री भी जो कार मे यात्रा कर रहे थे गम्भीर रूप से घायल हो गये थे, और उन्हे भी चोटे आयी थी, जिन्हें दुर्घटना के घायल व्यक्तियों को चिकित्सा प्रदान रकने वाले चिकित्सकीय रूप से देखा गया।

5. दुर्घटना के परिणामस्वरूप एक एफ0आई0आर0 संख्या1–2/2012 पुलिस स्टेशन टनकपुर मे भारतीय दण्ड संहिता की धारा–279, 338 और 427 के अन्तर्गत आरोपित अपराधो के लिए प्रश्नगत वाहन कैंटर के विरूद्ध दर्ज की गयी थी, जिसके बारे मे कहा जाता है कि उसने वर्तमान आवेदक की कार को टक्कर मार दी थी ,जो अलग से की गयी एक स्वतंत्र कार्यवाही थी जिसका वर्तमान अपील से कोई सम्बन्ध नही होगा।

6. दावा याचिका मे दावेदारो द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि चोटो की प्रकृति के कारण वह पचास लाख रूपये के मुआवजे के भुगतान का हकदार होगा। जिसका दावा उसने 13 अगस्त 2012 को दावा याचिका की स्थापना की तारीख को किया था। हालांकि बाद मे दावे की उक्त मात्रा मे दावेदारो, प्रत्यर्थी द्वारा आपत्ति उठायी गयी थी इसलिए बाद मे इसे 29 अगस्त 2014 के न्यायालय के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमे मुआवजे के दावे को रूपये पचास लाख से बढाकर रूपये पिचहत्तर लाख रूपये कर दिया गया था।

7. इस अवसर पर ही यह न्यायालय इस बात का अवलोकन करना उपयुक्त समझता है कि मुआवजे के दावे मे सम्भावित वृद्धि के बारे मे मुददा, जिसे 29 अगस्त 2014 के एक संशोधन आदेश के माध्यम से किये जाने की अनुमति दी गयी थी जो अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की बहस का एक अंग भी है, जिसका उत्तर इस निर्णय के बाद के चरण मे दिया जायेगा। इस स्तर पर एक मात्र पहलू जिस वपर टिप्पणी करने का प्रयास किया गया है वह यह है कि क्या अपीलार्थी न्यायिक आदेश 29 अगस्त 2014 के द्वारा संशोधन के माध्यम से दावा की गयी और शामिल की गयी

दावा राशि मे वृद्धी को चुनौती दे सकता है और वह भी विशेष रूप से तब जब अपीलार्थी ने संशोधन के औचित्य पर सवाल ही नही उठाया हो।

8. दावेदारो ने यह मामला प्रस्तुत किया है कि 31 दिसम्बर 2011 को हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप उन्हे गम्भीर चोटे आयी थी और डी5 व डी6 कशेरूका टूट गयी थी और उन्हें छाती और बी/एल हैमोथोरैक्स के साथ बांये मास्टॉइड का फैक्चर भी हुआ था जिसके परिणामस्वरूप उन्हें प्रस्तुत किया कि उन्हें एक स्थाई विकलांगता का सामना करना पडा है और जिसके उपचार में उसने लगभग पांच लाख का खर्च किया है और उसने स्थाई विकलांगता के कारण किसी भी भविष्य उपयोगी रोजगार के लिए अक्षम होने के कारण शारीरिक दर्द, मानसिक पीडा, वित्तीय भविष्य के नुकसान के लिए मुआवजे का दावा किया है।

9. 13 अगस्त, 2022 को जैसे दावा याचिका दायर की गयी और उसी को दावा याचिका के विरोधी पक्षों द्वारा अपना संबन्धित लिखित बयान दाखित करने चुनौती दी गयी थी, उदाहरण के लिए लिखित कथन कागज संख्या 14ग, जो कि 25 अक्टूबर, 2010 को प्रस्तुत किया गया था, वह सैन्ट्रो कार के मालिक द्वारा था, लिखित कथन कागज संख्या 27ग जो विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया था दावा याचिका आपत्ति प्रशनगत वाहन अर्थात कैंटर का मालिक, जो कि न्यायालय के समक्ष 8 जनवरी, 2013 को प्रस्तुत किया गया और विपक्षी संख्या 2 का लिखित कथन आपत्ति प्रश्नगत वाहन अर्थात कैंटर का चालक कागज संख्या 28ग, जो भी 08 जनवरी, 2013 को प्रस्तुत किया गया।

10. इस अपील पर विचार करने के लिए जो महत्वपूर्ण होगा, वह वो बचाव होगा, जो वर्तमान अपीलार्थी द्वारा लिया गया है जिसे अधिकरण के समक्ष विपक्षी संख्या–3 के रूप मे अभियुक्त बनाया गया था जहां उसने लिखित कथन कागज संख्या–29ख 18 दिसम्बर 2012 प्रस्तुत किया।

11. वास्तव मे यदि वर्तमान अपीलकर्ता के लिखित कथन अर्थात कागज संख्या–29ख को स्वयं ही विचार मे लिया जाता है मुख्य रूप से, इस स्तर पर यह न्यायालय ''अनन्य लापरवाही'' के एक पहलू या ''अंशदायी लापरवाही'' के एक पहलू के प्रति लिखित कथन के पैरा–15 मे किये गये अभिवचनो को विचार मे लेना उपयुक्त समझता है। लिखित कथन का पैरा–15 निम्नलिखित है–

> ''15. यह आरोप है कि कथित कैंटर संख्या–यू0ए0 04ई 3581 उतावलापन और लापरवाही से चलाया गया था, गलत है, इसे स्वीकार नही किया गया है और इन्कार किया गया है। यह गलत है कि कथित दुर्घटना कथित तिथि, समय और स्थान पर और याचिका में आरोप लगाये गये तरीके से हुई थी। यदि यह साबित हो जाता है कि कथित दुर्घटना हुयी थी तो वह

कार संख्या– यू0ए0 06जी 5188 के कथित चालक की एक मात्र उपेक्षा एवं लापरवाही के कारण हुयी थी, जैसा कि याचिका के अभिवचनो और उसमे वर्णित तथ्यो और परिस्थितियो से प्रतीत होता है। यदि यह संयुक्त लापरवाही का एक उपयुक्त मामला है और यह विकल्प मे है। याचिकाकर्ताओ पर उस पर सख्त सबूत प्रस्तुत करना होगा।''

12. यदि पैरा–15 को विचार में लिया जाता है, वास्तव मे यह अपीलार्थी का विशिष्ट मामला है कि यह कैंटर नही था जिसे उतावलापन और लापरवाही से चलाया जा रहा था बल्कि लापरवाही का बोझ कार के चालक पर डाल दिया गया था और इस तथ्य से बीमा कम्पनी ने लिखित बयान में इन्कार नही किया था।

13. इसके अलावा, अंशदायी लापरवाही के पहलू से संबंधित अभिवचन में, लापरवाही का एकमात्र आरोप प्रश्नगत वाहन अर्थात कार के चालक को दिया गया है और अंशदायी लापरवाही की प्ली को लिखित कथन में वैकल्पिक रूप में उठाया गया था।

14. इसके अलावा, अपीलार्थी ने अपने लिखित कथन में यह बचाव लिया था कि स्वामी/बीमित व्यक्ति ने अधिकरण के समझ कार्यवाही में उपस्थित होने का विकल्प नहीं चुना था और वह इसका विरोध करने में विफल रहा है और इसलिए, दावा कार्यवाही के लिए पर्याप्त प्रतिस्पर्धा दिये जाने के अभाव में गुण–दोष पर दावा याचिका को उचित और प्रभावी ढंग से न्याया निर्णीत नहीं किया जा सकता।

15. इसके अलावा, विरोधी पक्ष संख्या–3 अर्थात अपीलकर्ता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा–134सी और धारा–158(6) के अनिवार्य प्रावधानो के गैर अनुपालन के साथ–साथ बीमा अधिनियम की धारा–64(वी)बी के तहत निहिद प्रावधानो के अभाव से संबंधित याचिका दायर की है।

16. एक स्वतंत्र लिखित बयान दिया गया है, जो कागज संख्या 33ग है, जो विरोधी पक्ष संख्या 5 क्षरा दावा याचिका के लिए दायर किया गया है। सैंट्रो कार के बीमाकर्ता जिनके लिखित कथन के पैरा 20 व 21 में उठाये गये अभिवचनों के अनुसार पूर्णतः लापरवाही और दायित्व को उत्तरदायी पाया गया था, विशेष रूप से उल्लंघन करने वाले वाहन पर निहित किया गया था अर्थात कैंटर संख्या–यू0ए0 04ई 3581 जिसे उतावलेपन और ल ापरवाही से चलाया जा रहा था।

17. उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर, जो कार्यवाही के पक्षकारों द्वारा किये गये थे, विद्वान अधिकरण ने दिनांक 12 सितम्बर 2013 के अपने आदेश द्वारा निर्धारण के लिए निम्नलिखित विवाद्यक तैयार किये थेः–

''1. क्या दिनांक 31.12.2011 को समय 05:30 बजे पी0एम0 स्थान बस्तिया टनकपुर चम्पावत राष्ट्रीय राज मार्ग थाना क्षेत्र टनकपुर थाना चम्पावत मे कैंटर नं0–यू0ए0 04ई 3581 के चालक द्वारा प्रश्नगत वाहन को

तेजी व लापरवाही से चलाते हुए याची महेश कन्याल की कार संख्या–यू0ए0 06जी 5188 मे टककर मार दी, जिससे कार मे बैठे याची व उसकी पत्नी व बच्चो को गम्भीर चोटे आयी?

2. क्या कथित दुर्घटना की दिनांक को वाहन कैंटर नं0–यू0ए0 04ई 3581 की बीमा पॉलिसी वैध थी एवं इस वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज वैध थे?

3. क्या कथित दुर्घटना की दिनांक को वाहन कैंटर नं0–यू0ए0 04ई 3581 के चालक के पास वैध एंव प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति थी?

4. क्या दुर्घटना वाहन कैंटर नं0–यू0ए0 04ई 3581 एवं वाहन के चालक एवं वाहन कार संख्या–यू0ए0 06जी 5188 के चालको की योगदायी उपेक्षा के कारण घटित हुयी? यदी हां तो प्रभाव?

5. क्या दुर्घटना के समय वाहन कार संख्या–यू0ए0 06जी 5188 के वाहन चालक के पास चालक अनुज्ञा पत्र व वैध प्रपत्र नही थे, यदि हां तो प्रभाव?

6. क्या याची कोई प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है यदि हां तो किस विपक्षी से तथा कितनी प्रतिकर धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है?''

18. वास्तव मे, भले ही विवाद्यक, 12.09.2013 को तैयार किये गये विवाद्यकों को ध्यान में रखा जाता है। किसी भी समय कभी भी अपीलार्थी ने अंशदायी लापरवाही या डॉक्टर की परीक्षा न होने के प्रभाव के संबंध में विवाद्यक के सूत्रीकरण की मांग नही की थी, जिसे विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश के विरूद्ध की गयी अपील बहस के दौरान उठाया गया था। दावेदारों को देय मुआवजे का निर्धारण करने के प्रयोजनो के लिए जैसा की उसमें उठाया गया है। इसका क्या असर होगा। इसके आगे क्योंकि कानून के तहत अपीलार्थी को, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–14 नियम–3 और 4 के अन्तर्गत उचित विवाद्यक विरचित करने से प्रतिषेधित नही किया गया था।

19. अधिकरण के समक्ष की कार्यवाही के सिविल कार्यवाही होने का कारण, अधिनियम का अध्याय–13 के तहत निहित प्रावधानो द्वारा प्रक्रियात्मक रूप से शासित होना है।

20. प्रक्रिया का संदर्भ, जिसे अध्याय–13 के अधीन विहीत किया गया है, इस न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है क्योंकि इस तथ्य के अतिरिक्त कि अधिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित किये जाने वाले निष्कर्ष को आकर्षित करने के लिए विनिर्दिष्ट अभिवचन होने के अभाव में और विशेष रूप से उक्त प्रभाव के लिए उचित प्रभाव के लिए उचित मुददों को तैयार किये जाने के अभाव में वर्तमान अपीलार्थी के

विरूद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–14 नियम–3 और 4 के अधीन अर्न्तविष्ट उपबन्धो को लागू करके न्यायालय द्वारा एक समुचित विवाद्यक तैयार कराने का कोई निषेध नही था और ऐसा न करने के बाद और अधिकरण द्वारा 12 सितम्बर 2013 के अपने आदेश मे की गयी टिप्पणी के साथ कि 12 सितम्बर 2013 को बनाये गये मुद्दों के अलावा किसी भी पक्ष ने अधिकरण के समक्ष किसी अन्य मुददे पर जोर नहीं दिया है।

21. प्रश्न यह होगा कि जब अपीलकर्ता ने की दावा याचिका संख्या–308 वर्ष 2012 की कार्यवाही को स्वेच्छा से प्रतिवाद किया, अपने लिखित कथन कागज संख्या 29ख में लिए गए बचाव के आधार पर और विशेष रूप से, जब अस्पष्ट अभिकथन या प्रतिरक्षा के अभिवचन लिखित कथन मे किये गये थे, क्या उन्हें इस स्तर पर अपने बचाव को रखने की अनुमति दी जा सकती है, जब अधिनियम की धारा 173 के अधीन अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में अधिनिर्णय जांच के अधीन है और क्या एक तर्क योगदायी अपेक्षा अभिकथन व साक्ष्य के अभाव में उठाया जा सकता है।

22. उपरोक्त मुददो के आधार पर विद्वान न्यायाधिकारण ने दावा याचिका को विवादित निर्णय द्वारा तय करने के लिए आगे बढाया है और इस तरह उपर बताये अनुसार मुआवजा प्रदान किया है।

23. इस मामले को अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा संबोधित किया गया था और उन्होने अपने संबोधन को निम्नलिखिल दृष्टीकोण से सीमित कर दिया है–

क. यह कि न्यायाधिकरण द्वारा भुगतान के लिए निर्धारित किये जाने वाले मुआवजे को वर्तमान अपीलकर्ता पर इस तथ्य के कारण पृथक रूप से नही लगाया जा सकता है कि यह ''अंशदायी लापरवाही'' का मामला था इसलिए दुर्घटना के लिए सेंटरो कार का चालक भी समान रूप से जिम्मेदार था।

ख. यह कि प्रतिकर के निर्धारण के समय विद्वान न्यायाधिकरण को प्रतिकर की मात्रा से 1/3 कटौती कि पहलू पर विचार करना चाहिए था, जिससे कथित पूर्व स्थिति के कारण देय होने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए था कि उक्त राशि का उपयोग दावाकर्ता द्वारा स्वयं किया गया समझा जायेगा और उस राशि का 1/3 जिसे प्रतिकर के निर्धारण मे शामिल किया गया है, को एक ऐसी मात्रा नही कही जा सकती है जिसे दावेदारो की निर्भरता के लिए शामिल किया जा सकता है।

ग. उन्होने आगे यह कथन किया कि विकलांगता प्रमाण पत्र जिसे साक्ष्य के एक टुकडे के रूप मे अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसे डॉक्टर द्वारा दावाकर्ता को उसके इलाज के दौरान उसे परिक्षित करने

के उपरान्त जारी किया गया था, जो पत्रावली मे कागज संख्या–47ग है, के समर्थन के लिए डॉक्टर को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किये बिना, साक्ष्य मे नही पढा जा सकता है।

घ. उन्होने यह कथन किया कि आय का प्रमाण, जो आयकर रिर्टन के रूप मे दावाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वह पूर्णरूप से दावाकर्ता की उपार्जित आय का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए एक सुरक्षित मापदण्ड के रूप में नहीं किया जा सकता एवं इस प्रकार उन्होने कथन किया कि मुआवजे की मात्रा जो कि विद्वान अधिकरण द्वारा निर्धारित की गयी है वास्तव मे इनकम टैक्स दस्तावेज के आधार पर टी0डी0एस0 कटैती, जो कि पत्रावली मे प्रस्तुत की गयी है, को प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण करने के आधार के रूप मे नही लिया जा सकता था।

24. अपने आदेश पर, पूरे सम्मान के साथ इसके बाद अनुसरण किये जाने वाले कारणों की वजह से मै उन तर्को से सहमत नही हूँ जो उपरोक्त सभी पहलूओ पर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिये गये।

25. तर्क यह है कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा वर्तमान अपील मे अपने तर्क के समर्थन मे जो भी बहस की गयी, वे स्वयं उनके अपने अभिवचनो से भी परे है जो अवर न्यायालय के समक्ष उठाये गये थे और यह न्यायालय अवलोकन करने मे भी संकोच नही करता है कि अभिवचन रिकार्ड के पूर्ण उल्लंघन मे रहे है, जिन्हें अवर न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप मे प्रस्तुत किया गया था।

26. इसके अलावा यह सारे व्यापक तर्क जो अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये है मान्य नही होंगे बल्कि इन बिन्दुओ पर वह बहस भी नही कर सकते। विशेष रूप से जब एक पक्ष किसी मुकदमे में दावा किये गये अनुतोष के संबंध मे एक निश्चित बचाव करता है जो प्रधान न्यायालय एक मामला नहीं था, जिसे केवल साक्ष्य के आधार पर सराहा जा सकता है।

27. बचाव का आधार एक बोझ है जिसे प्रतिवादी द्वारा या तो दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करके निर्वहन किया जाना है लेकिन आक्षेपित अधिनिर्णय के पैरा संख्या–11 में जो देखा गया है और जो आधारो मे भी विवादित नही है और जिसे अपील मे लिया गया है, यह पढ़ा गया कि विपक्षी संख्या–3 वर्तमान अपीलार्थी ने अपने तर्क के समर्थन मे कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये।

28. उस स्थिति मे अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तर्क के दायरे का विस्तार करने की स्वतंत्रता नही ले सकते जिसे उनके द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रमाणित करने का प्रयास भी नही किया गया था।

29. अंत मे उन्होने कथन किये कि न्यायाधिकरण ने विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा

निर्धारित दावेदारो की निर्भरता से राशि के 1/3 की कटौती के सिद्धांत को लागू नही करके कानून की गलती की है।

30. न्यायालय इन सभी मुददो को स्वतंत्र रूप से निपटाना उचित समझता है।

31. अंशदायी लापरवाही के अपने तर्क को प्रभावित करने के लिए लिखित कथन के पैरा 15 मे दिये गये तथ्यों के अतिरिक्त, जो एक प्ली थी, जिसे अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष वैकल्पिक याचिका के रूप में उठाया गया था। यह एक बचाव नही होगा, जो अंशदायी लापरवाही के तथ्य को स्थापित करने के लिए किसी भी प्रयास के अभाव में उनके द्वारा पुष्टि की जायेगी, जिसे अपीलार्थी द्वारा मुआवजे के भुगतान और इसकी पर्याप्ता से इन्कार करने के लिए दवाव डालने की मांग की गयी है।

32. इस न्यायालय की राय के अनुसार अंशदायी लापरवाही का पहलू को विशेष रूप से अपीलीय न्यायालय के समक्ष अभिवचनो या आधार के माध्यम से उठाये गये बचाव के आधार पर निस्तारित नही किया जा सकता, इसे कार्यवाही के एक पक्ष, जो अंशदायी लापरवाही का बचाव करता है, द्वारा साबित करने की आवश्यकता थी।

33. अंशदायी लापरवाही हमेशा एक पहलू होता है जिसे न्यायाधिकरण द्वारा केवल अवर न्यायालय के समक्ष उसके समर्थन मे मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद ही निर्धारित और सराहा जा सकता है। क्योंकि अंशदायी लापरवाही एक पहलू होगा जो हमेशा प्रत्येक मामले मे भिन्न होता है और जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियो पर निर्भर करता है। अंशदायी लापरवाही के बचाव को, जो कि अपील के स्तर पर उठाया गया है, जिसे अपीलकर्ता द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष या यहां तक कि इस न्यायालय के समक्ष भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके इसे स्थापित करने के लिए कोई प्रयास किये जाने के अभाव मे अपीलकर्ता की याचिका पर विचार नही किया जा सकता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि यह अंशदायी लापरवाही का मामला था और वह भी विशेष रूप से जब अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अंशदायी लापरवाही के एक पहलू से निपटने के उददेश्यो के लिए पी0डब्ल्यू–1 के बयानो का उल्लेख किया है जो विशेष रूप से 20 नम्बर 2014 को अवर न्यायालय के समक्ष दर्ज किये गये थे, पी0डब्ल्यू–1 बयान के पैरा–41 का सन्दर्भ देते हुए जिसे अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आर्कषित करने की मांग की गयी है, जैसा कि बयान दर्ज किया गया है उसमे पैरा–41 मे यह अनुमान लगाना तार्किक निष्कर्ष हो सकता है कि यह अंशदायी लापरवाही का मामला है जहां पी0डब्ल्यू–1 द्वारा दर्ज किये गये बयान मे उसने सबमिट किया है कि उसने कैंटर को विपरीत दिशा से आते देखा।

34. केवल एक वाहन को विपरीत दिशा से आते हुए देखना और सबूत द्वारा इस तथ्य को स्थापित किये बिना की यह आमने–सामने की टक्कर थी या नही क्योंकि

इसका कोई साइड प्लान भी नही था जिसे अपीलकर्ता द्वारा मामले को साबित करने के लिए कभी भी रिकार्ड पर रखा गया है यह अंशदायी लापरवाही का मामला था पी0डब्ल्यू–1 या पी0डब्ल्यू–2 द्वारा रिकार्ड किया गया एक विशेष बयान जो सह यात्री थे जिसने 20 फरवारी 2014 को अपना बयान दर्ज किया और विशेष रूप से अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान इस बयान के पैरा–7 और 8 की ओर आकर्षित किया जो निम्नलिखित है–

> 7. कार को महेश कन्याल चला रहे थे और मै अपनी बगल वाली सीट पर बैठा था। मैने कैंटर को 8–10 मीटर की दूरी से आते हुए देख लिया था। दुघ र्टिना ..... रोड सीधी थी।
>
> 8. हमारी कार अपनी साईड पर थी कैंटर वाला चालक विपरीत दिशा से आ रहा था। जिसने हमारी कार के सामने से टक्कर मार दी।

35. यदि पी0डब्ल्यू–2 के बयान की सरहाना की जाती है और उस पर विचार किया जाता है, केवल इस लिए कि उसने दावा किया है कि उसने कैंटर को विपरीत दिशा से आते हुए देखा है जिसकी दूरी लगभग 8–10 मीटर है और इसे विपरीत कोई अन्य कथन किये बिना की किस तरीके से हैड ऑन टक्कर को पी0डब्ल्यू0–2 द्वारा दिये गये कथन द्वारा स्थापित किया जा सकता है, तो इसके विपरीत कोई निष्कर्ष नही निकाला जा सकता की यह अंशदायी लापरवाही का मामला था और विशेष रूप से जब लिखित बयान मे अपीलार्थी का स्वीकृत मामला यह है कि अंशदायी लापरवाही के पहलू को एक वैकल्पिक अप्रमाणित दलील के रूप मे लिया गया है इसलिए अंशदायी लापरवाही की यह दलील खारिज की जाती है।

36. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क यह था कि विकलांगता प्रमाण पत्र, जो दावाकर्ता को उसका परीक्षण करने के उपरांत डाक्टर द्वारा जारी किया गया था साक्ष्य में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि डॉक्टर को परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रमाण पत्र जो आवेदक को 100 प्रतिशत अक्षमता का दिया गया है, उसे आवेदक की भविष्य के उपयोगी रोजगार निर्योग्यता या अक्षमता के निर्धारण के लिए आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

37. अपीलकर्ता द्वारा कथन किये गये है कि पत्रावली पर दस्तावेज के साक्ष्य के रूप में साबित होने के अभाव में, विशेष रूप से तब जब विपक्षी संख्या 3 द्वारा पृष्ठाांकन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया गया है।

38. इस स्तर पर ही यह न्यायालय यह अवलोकन करना आवश्यक समझता है कि कल जब आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपील की कार्यवाही की सुनवाई की गयी थी तो आदेश के तहत सविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–14 नियम–27 निहित प्रावधानो को लागू करके उत्तरदाताओं द्वारा दायर 2022 का एक आवेदन संख्या–11105 लम्बित

था। विकलांगता प्रमाण पत्र को रिर्कोड पर रखते हुए जिसे बाद में 25 अक्टूबर 2017 को जारी किया गया था। वास्तव में आवेदन पर कोई लिखित आपत्ति दर्ज किये बिना अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक मौखिक आपत्ति उठायी गयी है कि उक्त दस्तावेंज को विकलांगता के प्रतिशत को निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिये साक्ष्य में नहीं पढा जा सकता है, जो उन्हे अपने भविष्य के रोजगार में अक्षम होने के लिये भुगतना पडा था।

39. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जिन टिप्पणियों पर जोर दिया गया है, वो वे है, जो साक्ष्य के रूप में पहले के विकलांगता प्रमाण पत्र में दर्ज किये गये थे, जो दो दृष्टिकोण से है–

क– यघपि यह सौ प्रतिशत अक्षमता का प्रमाण पत्र था जिसे अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य में स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन जब तक अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अक्षमता प्रमाण पत्र के खण्ड का में उल्लेख किया था, जिसमें सुधार कि सम्भावना का उल्लेख किया गया था।

ख– अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसा कि वहॉ पर भविष्य में सुधार की सम्भावना हो, तो उक्त प्रमाण पत्र को स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। जिससे दावेदार को उसके लाभदायक अनुबन्ध से आने वाली सभी समय के लिये विकलांग माना जा सकता है।

40. अलीलार्थी के अधिवक्ता की यह याचिका स्वयं उनके अपने मामले के विरोधाभाषी है।

41. एक बार फिर, यह न्यायालय यह अवलोकन करने के लिए विवश है कि सुधार की संभावना हमेशा निर्धारण के एक अनन्य क्षेत्र के भीतर होगी जो चिकित्सा विशेषज्ञो द्वारा दावेदार की जांच पर की जानी थी, जिसकी राय अदालतो द्वारा प्रतिस्थापित नही की जा सकती है और वह भी, बिना किसी विश्वसनीय सामग्री के चिकित्सा व्यवसायियों के अलावा अन्य पेशेवरों द्वारा, अक्षमता प्रमाण पत्र मे प्रयुक्त ''सुधार की संभावना'' की शब्दावली को दी गई व्याख्या, केवल इसका उल्लेख करने के कारण और इसे साबित करने लिए प्रमाणित किए बिना,इसके विपरीत कार्यवाही के किसी भी चरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करके, भविष्य मे सुधार की संभावना के प्रभाव से संबंधित दर्शन ने तर्क दिया कि इसके बचाव न्यायाधिकरण द्वारा किए गए मुआवजे के निर्धारण में कमी आएगी, जो एक तथ्य है, जिसे इस न्यायालय द्वारा फिर से स्वीकार नही किया गया है, क्योकि यह एक अनन्य बोझ था, जिसे अपीलार्थी द्वारा उन कार्यवाहियो मे निर्वहन किया जाना था जो अवर न्यायालय के समक्ष आयोजित की गई थी, जिसे

उसने आपेक्षित निर्णय के पैरा 11 मे की गई टिप्पणिये के प्रकाश में निर्वहन नहीं किया है।

42. इस मुद्दे को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क के संदर्भ मे भी निपटाया जाना आवश्यक है, कि विकलांगता प्रमाण पत्र, जिसे अपीलार्थी द्वारा स्वीकार नही किया गया था, जो अवर न्यायालय के समक्ष डॉक्टर को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किये बिना साक्ष्य में नहीं पढा जा सकता था।

43. सबसे पहले, अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार नही किया जाता है, कारण है कि विकलांगता प्रमाण पत्र जिसे सं0 1/49/2012 दिनांक 24 जुलाई 2012 जारी किया गया था को वास्तव मे, यह एक प्रमाण पत्र था, जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, जिसने दावेदारो की जांच की थी और बाद मे, उक्त निष्कर्ष और चोटो के कारण विकलांगता का निर्धारण, जो एक पहलु था, जिससे निपटा गया है, कि दर्दनाक पक्षाघात (रीढ की हड्डी की चोट) है, उसी पर सरकारी अस्पताल, खटीमा के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए गए थे।इसलिए, चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र पर अविश्वास करने का कोई वैध कारण नही है।

44. चूंकि नियोग्यता की राय मेडिकल बोर्ड के मेडिकल विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गयी है, दूसरी कोई राय दस्तावेज पर नहीं ली जा सकती। विशेषतः तब जब अपीलकर्ता सामग्री का खण्डन करने का प्रयास करता है और जब मामले में प्रमाण पत्र को अन्यथा साबित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाता है।

45. जहां तक अपीलार्थी के तर्क का संबंध है, विकलांगता प्रमाण पत्र के स्वीकृति के आधार पर साक्ष्य मे पढने के लिए, डाक्टरों की अनुपस्थिति मे, उनके विवाद के समर्थन मे,परीक्षण किए जाने वाले गवाह बॉक्स मे पेश किया जा रहा है,चिकित्सा दस्तावेजो की सामग्री का समर्थन करते हुए, वास्तव मे, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान पी0डब्लू0–9, द्वारा दर्ज किए गए बयान की ओर आकर्षित किया था। डाक्टर एच0 एस0 कठैत, जो गवाह बॉक्स, मे पेश हुआ था और जिसने 31 जुलाई, 2014 को अपना बयान दर्ज किया था, ने तथ्य को मजबूत किया,विशेष रूप से बयान, जो के पैरा 4 और पैरा 14 और 15 मे दर्ज किया गया है। उन्होने चोटो की प्रकृति का पूरी तरह से समर्थन किया है। उन्होने 100 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र का समर्थन किया है,जिसे मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया था, इसलिए, अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का तर्क, कि डाक्टर की अनुपस्थिति मे परीक्षण किया गया है, चिकित्सा प्रमाण पत्र को विशेष रूप से साक्ष्य मे नही पढा जा सकता है, इस अपीलीय चरण मे स्वीकार किया जाना मान्य नही है। और वह भी विशेष रूप से, जब अपीलार्थी द्वारा इसे विपरीत साबित करने लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

46. अगला प्रश्न, जिसे अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क के रूप में प्रस्तुत किया गया वह 1/3 की कटौती के बारे में है, जिसे अधिकरण द्वारा मुआवजे का निर्धारण करते समय इस आधार पर किए जाने की अपेक्षा की गयी थी कि एक तिहाई कटौती मुआवजे के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए की जानी है, जो कि एक राशि का तथ्य है, जो दावेदारों के स्व उपयोग के लिए शामिल थी और इसका उपयोग किया गया समझा जायेगा और यह दावेदार द्वारा निर्भरता का हिस्सा नहीं होगा।

47. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय शिवकुमार एम. बनाम प्रबंध निदेशक, बेगलूरू महानगर परिवहन निगम 2017 5 एस. सी. सी. 79 है जिसमें उन्होंने मुख्यालय से उक्त निर्णय के पैरा 6 का संदर्भल लिया है, उक्त निर्णय का पैरा 6 निम्नलिखित है–

> ''6. व्यावसाय और आय पर प्रतिवादी की ओर से किसी भी गंभीर विवाद के अभाव मे, हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण और उस मामले में उच्च न्यायालय को अपीलार्थी के साक्ष्य को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए, हम उसकी मासिक आय का आंकलन रूपये 15,000/– के रूप मे करते हैं और उसे व्यक्तिगत खर्चो के लिए एक तिहाई कटौती करने के बाद, आय का आंकलन मुआवजे की गणना के उद्देश्य से रूपये 10,000/–प्रतिमाह के रूप मे किया जायेगा। आय को उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित रूपये 6,500/–के स्थान पर रूपये 10,000/– के रूप मे प्रतिस्थापित किया जाता है। क्षतिपूर्ति पर न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका की तारीख से प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा शेष अधिनिर्णय काम रखा जायेगा।''

48. यह मामला भी चोटों का था, जिसमे विकलांगता,जिसका मूल्यांकन डाक्टरों द्वरा किया गया था, अंग की 81 प्रतिशत विकलांगता थी और पूरे शरीर की विकलांगता केवल 24.0 प्रतिशत थी और डाक्टर ने उसमे 40 प्रतिशत की समग्र विकलांगता के रूप मे प्रमाणित किया है, और यह उस घटना मे था, जहां का आकलन पूरे शरीर की कुल 40 प्रतिशत विकलांगता के रूप मे किया गया था, यह उन तथ्यात्मक संदर्भ मे था, न्यायालय ने अपने पैरा 6 मे अवलोकन किया है कि राशि के 1/3 की कटौती की जानी चाहिए, क्योकि दावेदार को हुई विकलांगता के प्रतिशत के कारण कार्य करने की गुंजाइश इतनी नही थी कि उसे भविष्य मे कार्य करने से वंचित कर दिया जाएगा।

49. यह सिद्धात, मेरे आदेश पर पूरे सम्मान के साथ, मान्नीय सवोच्च न्यायालय द्व ारा निर्धारित तर्कसंगत अनुपात नही है, क्योकि यह रेम एक निर्णय नहीं होगा, बल्कि मामले के तथ्य के आधार पर होगा। उक्त मामले के तथ्य और कटौती के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करने का तर्क यह है कि वर्तमान मामले में जैसा कि विकलांगता के पहलू से निपट ने के दौरान पहले ही देखा जा चुका है, यह 100 प्रतिशत विकलांगता

का मामला है और संभावना की याचिका का प्रभाव है स्थिति में सुधार के लिए भविष्य की प्रगति, केवल एक काल्पनिक आधार है, जो वर्तमान मामले में सीापित नहीं किया जा रहा है और इसलिए सह सम्बन्धी कटौटी, जहॉ वर्तमान अपीलकर्ता के अनुसार 40 प्रतिशत की विकलांगता को शत प्रतिशत विकलांगता के अनुरूप पढने का प्रयास किया गया है। उक्त सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा।

50. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एक अन्य निर्णय न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम चार्ली और अन्य, 2005 (2) T.A.C. का पुनः उल्लेख जहॉ अपीलार्थी के विद्वान वकील ने कटौती के 1/3 के सिद्धांतों के सम्बन्ध में अपने मामले की पुष्टि करने के सम्बन्ध में पैरा 5 का संदर्भ दिया है और उसने इस न्यायालय का ध्यान उक्त निर्णय के पैरा 5 की विषयवस्तु की ओर आकर्षित किया है, जिसे यहॉ निकाला गया है :–

''5. व्यक्तिगत व्यय के लिए कटौती का प्रतिशत कितना होगा, यह सार्वभौमिक अनुप्रयोग द्वारा किसी भी कठोर नियम या सूत्र द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तत्काल मामले में दावेदार की आयु लगभग 37 वर्ष की थी और वह विवाहित था। इसलिए, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उचित रूप से यह तर्क दिया गया है, 1/3 व्यक्तिगत व्यय के लिए कटौती की जानी चाहिए।

51. वास्तव में, यदि उक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायायल द्वारा की गयी टिप्पणी पर विचार किया जाता है, तो यह केवल एक विवाद था, जिसे माननीय सर्वोच्च द्वारा निपटाया जा रहा था, लेकिन यह सभी मामलों में अनिवार्य रूप से विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों को विचार में लिए बिना अनिवार्य रूप से लागू किया जाने वाला 1/3 कटौती का अनुपात नहीं था और चूंकि पैरा 5 जिस पर अपीलकर्ता द्वारा भरोसा किया गया है, केवल एक मामले की चर्चा है, जिसे पक्षकारों द्व ारा विकसित किया गया है, अतः इसे सीाई विकलांगता के उन मामलों में जिसमें 1/3 कटौती की अवधारणा की परिकल्पना की गयी है। सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, जैसा कि माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा राजकुमार के मामले में अवधारित किया गया है।

52. प्रत्याशित 1/3 कटौती के संबंध में दिए गए तर्क के उत्तर में, प्रत्यर्थियों के विद्वत अधिवक्ता राज कुमार बनाम अजय कुमार और एक अन्य (2011)1 एससीसी 343, में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया था और विशेष रूप से, उन्होंने उस विचार का उल्लेख किया है जो माननीय सर्वोच्च न्यायायल द्वारा अपने पैरा 9 में उल्लेखित किया गया है, जिसे उद्धृत किया गया हैः–

''9. स्थायी अक्षमता का प्रतिशत डाक्टरों द्वारा पूरे शरीर के संदर्भ मे, या अधिक बार नहीं, एक विशेष अंग के संदर्भ मे व्यक्त किया जाता है। जब एक विकलांगता प्रमाणपत्र बताता है कि घायल को बायें निचले अंग के 45 प्रतिशत तक स्थायी का सामना करना पड़ा है, तो यह पूरे शरीर के सम्बन्ध में 45 प्रतिशत स्थायी विकलांगता के समान नहीं है। एक अंग (या शरीर के हिस्से) की अक्षमता की सीमा को उस अंग के कुल कार्यो के प्रतिशत के सम्बन्ध में व्यक्त किया जाता है, स्पष्ट रूप से पूरे शरीर की अक्षमता की सीमा नहीं मानी जा सकती है। यदि दाहिने हाथ की 60 प्रतिशत स्थायी विकलांगता और बॉये पैर की 80 प्रतिशत विकलांगता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे शरीर के सम्बन्ध में स्थायी विकलांगता की सीमा 140 प्रतिशत (यानी 80प्रतिशत प्लस 60 प्रतिशत) है। यदि शरीर के विभिन्न भागों में अक्षमताओं का अलग अलग प्रतिशत है, तो पूरे शरीर के संदर्भ में स्थायी अक्षमता के सम्बन्ध में व्यक्त किया गया कुल योग स्पष्ट रूप से 100 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है।''

53. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, राज कुमार (सुप्रा) के पूर्वोक्त निर्णय में, जहॉ यह भी 100 प्रतिशत अक्षमता का मामला था, जैसा कि उक्त निर्णय के पैरा 9 में अवलोकन किया गया है, यह निर्धारित किया है कि पैरा 19 और 27 में मुआवजे के निर्धारण का पहलू, उन मामलों में मुआवजे को निर्धारित करने के लिए सुरक्षित पैरामीटर क्या होंगे, जहॉ दावेदारों को पूरे शरीर के संदर्भ में स्थायी अक्षमता का सामना करना पड़ा था, जिसमें यह देखा गया है कि इसे एक ऐसी अक्षमता नहीं माना जा सकता है, जिसे बाद में विकसित या पुर्नप्राप्त किया जा सकता है, और इसलिए, मुआवजे से इन्कार करते हुए, अपीलार्थी द्वारा दावा की गई अपेक्षित कटौती को धारणीय नहीं है।

54. इसके बजाय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के पैरा 19 और 27 में, जो यहां उद्धृत किया गया है, यह मत व्यक्त किया है कि घायल दावेदार, जिसने दावेदार को अपनी आय के भविष्य के नुकसान को प्रभावित करने वाली 100 प्रतिशत की अक्षमता का सामना किया है, घायल व्यक्ति को उपार्जित आय में से एक तिहाई या कटौती के किसी अन्य प्रतिशत की कटौती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पैरा 19 और 27 यहॉ निकाले गए हैंः–

''19. अब हम उपर चर्चा किए गए सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैंः

(i) सभी चोटों (या चोटों से उत्पन्न होने वाली स्थायी विकलांगता) के परिणामस्वरूप कमाई की क्षमता का नुकसान नहीं होता है।

(ii) किसी व्यक्ति के पूरे शरीर के सम्बन्ध में स्थायी विकलांगता का प्रतिशत, कमाई क्षमता के नुकसान का प्रतिशत नहीं माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कमाई क्षमता के नुकसान का प्रतिशत स्थायी विकलांगता के प्रतिशत के बराबर नहीं है (कुछ मामलों को छोडकर, जहॉ न्यायाधिकरण साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय करता है कि कमाई क्षमता के नुकसान का प्रतिशत स्थायी विकलांगता के प्रतिशत के बराबर है)।

(iii) वह डॉक्टर जिसने एक घायल–दावेदार का इलाज किया था जिसने बाद में उसकी स्थायी विकलांगता की सीमा का आकलन करने के लिए उसकी जॉच की, वह केवल स्थायी विकलांगता की सीमा के संबंध में साक्ष्य दे सकता है। अर्जित करने की क्षमता का नुकसान एक ऐसी चीज है जिसका मूल्यांकन न्यायाधिकरण द्वारा पूरी तरह से साक्ष्य के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

(iv) एक ही स्थायी विकलांगता के परिणामस्वरूप पेशे, व्यवसाय या नौकरी, आयु, शिक्षा और अन्य कारकों की प्रकृति के आधार पर अलग–अलग व्यक्तियों में कमाई क्षमता के नुकसान के अलग–अलग प्रतिशत हो सकते हैं।

27. एक विकलांग घायल दावेदार के मामले में, जिसकी गणना की जाती है वह दावेदार की कमाई का भविष्य का नुकसान है, जो दावेदार को देय, (जैसा कि एक घातक दुर्घटना में गणना की गई निर्भरता के नुकसान के विपरीत है, जहॉ मृतक के आश्रित परिवार के सदस्य दावेदार हैं)। इसलिए व्यक्तिगत और जीवन यापन के खर्चो के लिए आय से एक तिहाई या किसी अन्य प्रतिशत की कटौती करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

55. उपर्युक्त अनुपात के अलावा, इस न्यायालय का विचार है कि गंभीर चोटों के मामलों में, जिसके परिणामस्वरूप 100 प्रतिशत अक्षमता होती है, आय के 1/3 की सीमा तक व्यक्तिगत व्यय के अपवर्जन के पहलू में, इसे दुर्घटना के सभी मामले में जहॉ चोट लगने के कारण दावा किया जाता है, सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि 1/3 कटौती की आवश्यकता उन मामलों में नहीं होती जहॉ पीडित दुर्घटना से बच जाता है, कथित कटौती की 1/3 राशि अभी भी एक व्यय बनी रहेगी, जिसे उसे अपने अस्तित्व के उद्देश्यों के लिए, अपने दैनिक जीवन की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए वहन करना होगा।

56. वास्तव में, राज कुमार (सुप्रा) के मामले में दिये गये यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित निर्णय पर विचार किया जाता है, विशेष रूप से, पैरा 9,19 और 27 में किए गए अवलोकन के प्रकाश में, जिसे समग्र रूप से पढ़ा जाना या और जो 100 प्रतिशत विकलांगता के मामलों के सहसंबंध में था, अपीलार्थी के विद्वान

अधिवक्ता द्वारा कटौती के सिद्धांत के लिए भरोसा किये गये निर्णय राज कुमार (सुप्रा) साथ ही साथ न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि0 बनाम चाली व अन्य 2005 (2) टीएसी 297 के आलोक में यह वहीं लागू नहीं होगा। जहॉ व्यक्ति दुर्घटना के बाद जीवित रहता है, और 100 प्रतिशत विकलांगता से पीड़ित था।

57. इस स्तर पर, यह न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य को संदर्भित करना उपयुक्त समझता है, जिसे अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन सं0 11105 वर्ष 2022 द्व ारा रिकॉर्ड पर विकलांगता प्रमाण पत्र सं 202/2017, के साथ दाखिल किया गया है, जो 25 अक्टूबर 2017 को जारी किया गया था, जिसका मौखिक रूप से अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा विरोध किया गया है।

58. वास्तव में, यदि सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत मेरी शक्तियों का उपयोग करके इस विकलांगता प्रमाण पत्र को ध्यान में रखा जाता है तो यह एक प्रमाण पत्र है, जिसे चिकित्सा बोर्ड द्वारा फिर से जारी किया गया है, जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत समर्थन दिया गया था, जहॉ बाद की एक परीक्षा में, जो रिकॉर्ड पर पहले के विकलांगता प्रमाणपत्र के अनुसार, जो 5 साल के अंतराल के बाद आयोजित की जानी थी, जहॉ एक आर्ब्जवेशन किया गया था कि भविष्य में ''सुधार की संभावना'' है, वास्तव में, बाद में विकलांगता प्रमाणपत्र में, जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षा के बाद जारी किया गया है, जो 24 जुलाई 2012 के प्रमाण पत्र के अनुसार, जो 5 साल के अंतराल के बाद दावेदार पर आयोजित होने की उम्मीद थी जिसमें भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है। 25 अक्टूबर, 2017 चोटों की प्रकृति को और 100 प्रतिशत विकलांगता आर्ब्जवेशन करता है, जो दावेदार द्वारा सही गयी एक शारीरिक हानि है, जिसमें भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है।

59. अतः, आदेश से वर्तमान अपील पर निर्णय लेने के प्रयोजनों के लिए, अक्षमता प्रमाणपत्र की औचित्य और उस संदर्भ में जिसमें अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा ''सुधार की संभावना'' के बारे में की गयी टिप्पणियों के निहितार्थ को रेखांकित करके तर्क दिया गया है, बल्कि 24 जुलाई, 2012 के प्रमाणपत्र के खंड 2 में की गई टिप्पणियों के अनुसार, पूर्ववर्ती अक्षमता प्रमाणपत्र के 5 वर्षो के बाद आयोजित की गयी थी, और बाद के प्रमाणपत्र को वर्तमान अपील पर निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए तर्कसंगत रूप से पढ़ना होगा, जिसका अपीलार्थी द्वारा अपील में पढने के लिए विरोध नहीं किया गया है, जहॉ बाद में चिकित्सा जॉच पर, यह देखा गया था कि सुधार की संभावना नहीं है, जिसका अर्थ है कि मामले को देखते हुए राजकुमार (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इसके विचार के लिए लागू होगा, जहॉ 1/3 कटौती न किये जाने की निंदा की गयी है। जहॉ 100 प्रतिशत विकलांगता की सहनशीलता के कारण भविष्य में हमेशा के लिए कमाई का नुकसान हो रहा है।

60. इस प्रकार, यह संभावना, जैसा कि अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया है, इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, कि 100 प्रतिशत विकलांगता के मामलों में भी, जहॉ दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति बन गया था, मुआवजे का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए दावेदार की आये से 1/3 की कटौती होनी चाहिए।

61. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने उस दस्तावेज का उल्लेख किया है, जो दावेदार द्वारा आयकर विवरणी को अभिलेख पर रखकर दावेदार की उपार्जित आय को साबित करने के उददेश्य से प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि, वास्तव में रिटर्न में हुई टीडीएस कटौती को जिसे दावाकर्ता द्वारा उपार्जित की जाने वाली आये के साथ के रूप में दावाकर्ता द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उप पर विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा आक्षेपित अवार्ड पारित करते समय विचार नहीं किया गया था।

62. फिर भी, यह न्यायालय उपर की गयी टिप्पणियों को दोहराने के लिए मजबूर है।

क यह ऐसा मामला नहीं है जिसे लिखित बयान में विकसित करने का कभी प्रयास किया गया हो।

ख. यह ऐसा मामला नहीं है, जिसे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विपरीत साक्ष्य के आधार पर साबित करने का प्रयास किया गया हो.

ग. यह एक ऐसा मामला नहीं था, जिसे उसके द्वारा अधिकरण के समक्ष एक उपयुक्त विवाद्यक तैयार करके भी उठाया गया था और उस स्थिति में, वह एक अपीलीय स्तर पर पूरी तरह से एक नया मामला विकसित नहीं कर सकता है, इसके अभाव में कि आयकर प्रमाणपत्र से टीडीएस की कटौती की कथित अवधारणा से संबंधित निष्कर्ष निकालने के लिए अवर न्यायालय के समक्ष रिकार्ड में रखा गया है।

63. न्यायालय द्वारा दिए गए पुरस्कार की जांच से संबंधित मुख्य मुददे पर वापस लौटते हुए, निष्कर्ष, जिसे विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा विवाद्यक पर दिया गया है, वास्तव में निष्कर्ष जो विद्वान अधिकरण द्वारा विवाद्यकों पर दिया गया है, उसे अधिकरण द्वारा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर विस्तार पूर्वक वर्णित किया जा चुका है और विशेष रूप से, आर्ब्जवेशन, जा कि विकलांगता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में निर्णय के पैरा तीन में दी गयी है, जहॉ न्यायालय ने पी0डब्लू03 संदीप सिंह, मेडिकल रिकॉर्ड टैक्नीशियन को परीक्षित किया है, जिसके बयान पी0डब्लू09 डॉक्टर एच0एस0 कठैत के विकलांगता प्रमाण पत्र के बयानों के समर्थन में है और यह भी कि वह विकलांगता प्रमाण पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 में दाखिल विकलांगता

प्रमाण पत्र के अनुरूप है, जिसका अपीलार्थी द्वारा लिखित रूप में विरोध नहीं किया गया है।

64. अंशदायी लापरवाही के एक पहलू पर आते हुए, अंशदायी लापरवाही की स्थापना, जो हमेशा एक परिवर्तनीय कारक होता है, प्रत्येक मामले के तथ्यो और परिस्थितियों के आधार पर, जिसके तहत दुर्घटना हुई है, हमेशा एक ऐसा कारक होगा जिसे कार्यवाही के पक्षो द्वारा स्थापित किया जाना आवश्यक है, जो अंशदायी लापरवाही का बचाव करते है, ताकि अंशदायी लापरवाही का बचाव करने वाले व्यक्ति पर दायित्व से इनकार किया जा सके। यहॉ, क्योकि केवल विपरीत दिशा से आ रहे वाहन के बारे मे सह यात्रियो द्वारा दर्ज किए गए बयान को निकालना अपने आप मे एक अनन्य निष्कर्ष नहीं होगा, जो अंशदायी लापरवाही के पहलू के एक प्रशंसनीय निष्कर्ष पर पहुंच सकता है।

65. इसलिए, उपरोक्त कारणो से, मुझे आदेश से अपील मे कोई योग्यता नहीं मिलती है। आदेश की अपील तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

66. इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन मे अपीलार्थी द्वारा जमा की गई राशि, यदि कोई हो तो, दावेदारो को वितरित की जायेगी और रजिस्ट्री को अपील दायर करने के समय अपीलार्थी द्वारा की गई वैधानिक जमा राशि को अधिकरण को प्रेषित करने का भी निर्देश किया जाता है, जो बदले मे, आज के फैसले के परिणामस्वरूप, दावेदार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

67. अतः उपयुक्त कारणो से, आदेश की अपील विफल हो जाती है और तदनुसार उसे खारिज कर दिया जाता है।

68. आदेश संख्या 42 वर्ष 2015 से सम्बन्धित अपील, भी उपरोक्त निर्णय में वर्णित कारणों से खारिज की जाती है।

(शरद कुमार शर्मा, न्यायामूर्ति)
21.07.2022